प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना भिण्ड जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. 32 /2010-11/172

प्रभूदास शिक्षा प्रसार समिति लहार रोड भिन्ड अध्यक्ष जगतनारायण शर्मा सचिव सुमित नारायण शर्मा निवासी लहार रोड भिन्ड

आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

(आदेश दिनांक 28-1-11 को पारित)

आवेदक प्रभूदास शिक्षा प्रसार समिति लहार रोड भिन्ड अध्यक्ष जगतनारायण शर्मा सचिव सुमित नारायण शर्मा निवासी लहार रोड भिन्ड

ग्राम अकोड़ा प.ह.नं. 4312 की भूमि सर्वे क्र. 3196, 3190, रकवा 0.492 है. में क्षेत्रफल 36625 वर्गफीट के व्ययवर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल जॉच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार भूमि स्वामित्व है। प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नहीं है, तथा व्यपर्वत किए जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं हैं।

अतः भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत ग्राम अकोड़ा के सर्वे क्र. 3196, 3190 रकवा 0.492 है. में क्षेत्रफल 36625 वर्गफीट के व्ययपवर्तन की स्वीकृति आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. निर्माण कार्य नगर पालिका एवं संबंधित निकाय की विधिवत स्वीकृत तथा लेआउट की मंजूरी पश्चात् किया जावें।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जावें।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जावें, जिससे सार्वजनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जावें जिससे पर्यावरण प्रदूषितहो।
5. व्यपवर्तित क्षेत्र 36625 वर्गफीट पर पुनः निर्धारण 9512=00 रू. वर्ष 2010-11 से कायम किया जाता है, जो प्रतिवष देय होगा।
6. प्रब्याजित 64233=00 रू. कायम की जाती है जो सिर्फ एक बार देय होगी।
7. व्यपवर्तन की स्वीकृति व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था के पयोजन हेतु दी गई है प्रयोजन परिवर्तित करने पर पुनः निर्धारण पुनरीक्षित किया जावेगा।
8. आवेदक निर्माणाधीन मकान के सम्मुख तीन मीटर स्थान छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।
9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुज्ञप्ति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।
10. प्रकरण बी-1 इन्द्राज हेतु व्यपवर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जावें, इन्द्राज उपरान्त प्रकरण रिकार्ड दाखिलहो।

7/2/11

हैड कापिस्ट

कलेक्टोरेट भिण्ड (म. प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी

भिण्ड (म.प्र.)